न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 2238/2016 प्रार्थना पत्र

माना पिता भोला जी जाति डांगी आयु 75 वर्ष पेशा काश्त निवासी करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—प्रार्थी

बनाम

मोहनलाल पिता भैरा जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी करोली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 212 रा.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : श्री सुरेश खटीक, अधिवक्ता प्रार्थी।

: : आदेश : :

दिनांक :—13.08.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एकट एवं आदेश नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नारायण संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम करोली तहसील नाथद्वारा की आराजी सं. 2309 कुल किता 0—15 बीघा स्थित है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार प्रार्थी व उसका भाई नारायणलाल का नाम राजस्व रेकर्ड मे अंकित है तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के हिस्से मे होकर प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी के विरूद्ध पेश कर रहा है। प्रार्थी की आराजीयात के सटमा विपक्षी की आराजी सं. 2305 स्थित होकर विपक्षी ने उसकी आराजी मे मकान का निर्माण कार्य करवाया जिसमे विपक्षी ने प्रार्थी की कृषि भूमि की तरफ पानी की निकासी एव लेट्रिन बाथरूम का गदा एवं बदबुनमा पानी प्लास्टीक के पाईप के जरिये प्रार्थी की कृषि भूमि मे निकाल दिया। जिससे प्रार्थी की फसल मे न्युसेंस पैदा हो गया है तथा प्रार्थी की फसल गंदे पानी से नष्ट हो गई है। इस कारण प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। प्रार्थी ने विपक्षी को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षी ने प्रार्थी को धमकी दी की मेरे मकान मे स्थित लेट्रीन बाथरूम का गंदा पानी तेरी कृषि भूमि मे स्थित फसल मे ही जायेगा तथा तेरी समस्त फसल को नष्ट कर दूंगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 मे वर्णित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

आराजीयात मे विपक्षी अपने मकान का लेट्रीन बाथरूम का गंदा एवं बदबुनुमा पानी जरिये प्लास्टिक के पाईप से प्रार्थी की आराजी मे पानी नही निकाले न अपने परिवार के सदस्यो से ऐसा करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम करोली तहसील नाथद्वारा की आराजी सं. 2309 कुल किता 0–15 बीघा मे प्रार्थी खातेदार होना प्रकट होता है। विपक्षी उक्त आराजीयात मे खातेदार दर्ज नही है एवं विपक्षी के द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि की तरफ पानी की निकासी एवं लेट्रिन बाथरूम का गंदा पानी प्लास्टीक के पाईप के जरिये निकालने पर प्रार्थी की फसलो को नुकसान होगा। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध मे सम्बन्धित क्षेत्र के फोटोग्राफस भी पेश किये है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे बनता है यदि विपक्षी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ मे संभव नही होगा जबकि विपक्षी को किसी प्रकार का कोई नुकसान कारित नही होगा। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति :–प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थी के पक्ष मे विपक्षी सं 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी जिसका आकलन अर्थ मे संभव नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं सपठित धारा आ0 39 नि0 1 व 2 तथा 151 जा.दी. स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थी के हिस्से की राजस्व ग्राम करोली तहसील नाथद्वारा की आराजी सं. 2309 कुल किता 0–15 बीघा कृषि भूमि मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

यह आदेश आज दिनांक **13.08.2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द